न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 7 / 2025

गोपाल बिहारी गौतम निवासी डी–182 इन्द्रा कॉलोनी निवाई तहसील निवाई जिला टोंक राज0 ––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय **दिनांक 13.02.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 26.12.2024 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक में लोकेश शर्मा बनाम ग्राम विकास अधिकारी एवं तीन अन्य का पट्टा निरस्त हेतु दिनांक 28.12.2020 से दिनांक 7.03.2024 तक दर्ज था परन्तु 07.03.2024 को अदम हाजरी मे खारिज कर दिया गया। उक्त प्रकरण अब न्यायालय अति0 जिला कलेक्टर टोंक मे दर्ज करवाया गया है अतः दायर की गई याचिका की नकल की प्रतिलिपि, दायर कमांक एवं दिनांक प्रार्थी को उपलब्ध कराने का कष्ट करे।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 121 दिनांक 30.01.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 171 दिनांक 05.02.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनां के संबंध में अपीलार्थी को पत्र कमांक 47 दिनांक 31.01.2025 से सूचित किया जा चुका है। अतः अपील में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील अस्वीकार योग्य है।

फलतः अपील अपीलाण्ट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(डॉ. सौम्या झा)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक